को पेश हो।

1/10/15 पत्रावली पेश। प्रति वकील से 1,2 अभि वकील उपस्थित। वादी वकील अनुपस्थित। वादी अनुपस्थित। न्यायालय समय में अलग-अलग समय पर आवाजे लगाई गई। वादीपक्ष से कोई उपस्थित नहीं। अब चूंकि न्यायालय समय समाप्त होने जा रहा है अतः पुनः एक बार न्यायालय मे आवाज लगाई गई। वादी पक्ष की तरफ से कोई उपस्थित नहीं। अतः वाद वादी पक्ष की अदम पैरवी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली शुमार फैसल हो कर नम्बर से कम होकर तरमीम दाखिल दफ्तर हो।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर

Scanned by CamScanner